राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(35)नविवि/3/2010 पार्ट जयपुर दिनांक 12-5-18

आदेश

विषयः– व्यापक जनहित मे भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध मे।

पर्यटन विभाग राजस्थान तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मे पर्यटन नीति के तहत प्रस्तावित पर्यटन इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु किसी अन्य उपयोग से पर्यटन इकाई हेतु प्रस्तावित भू–उपयोग मे परिवर्तन को व्यापक जनहित (Larger Public Interest) की श्रेणी मे सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर विभाग स्तर पर चर्चा उपरान्त सक्षम स्तर से किये गये निर्णयानुसार विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.07.2017 की निरन्तरता मे पर्यटन इकाईयों की स्थापना हेतु प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन को व्यापक जनहित की श्रेणी मे सम्मिलित किया जाता है। ऐसे प्रकरणों मे राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010) के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे तथा भू–उपयोग परिवर्तन के आदेश जारी किये जाने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

12/5/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2.निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3.आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4.सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5.मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6.सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
7.निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8.रक्षित पत्रावली।

12/5/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम